NO III

अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई | मुकाम अराई (अजमेर)

- सुनीता पत्नि राजेन्द्र जाट, उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर राज0 —प्रार्थी

बनाम

- कंचन पुत्री सत्यनारायण जाति जाट निवासी लाम्बा,तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा-- धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

दर्ज क्रमांक 93/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/155

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा | वकील अप्रार्थीगण.........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/9/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 04/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
04/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............... दिनांक 29/11/24 को पेश हो।	③ गोपाल ⑥ परमेश्वर
29/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी 05,06,12,15,18 उप. होकर प्रा० पत्र वास्ते वर्तमान [illegible] होने से [illegible] का समय बढाने बाबत का पेश किया [illegible] मि०। वकील प्रार्थी शेष अप्रार्थीगणों की तामील [illegible] रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली 10/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	⑫ शंकर लाल ⑮ शिवराज जाट ⑱ महेन्द्र

दिनांक	कार्यवाही
10/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर होने से। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.................. दिनांक 7/3/25 को पेश हो।
7/3/25	पत्रावली पेश हुई आज........ बार हड़ताल .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/4/25 को पेश हो।
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। तामिली रिपोर्ट अप्रार्थी 1 से 20 तक प्राप्त / अनुपस्थित इश्तहार प्रकाशन .... पत्रावली दिनांक 2/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई
2/5/25	पत्रावली पेश हुई आज........ बार हड़ताल .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/6/25 को पेश हो।
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर होने से। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.................. दिनांक 20.6.25 को पेश हो।
20.6.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। अप्रार्थीगण 1-4, 7-11, 13,14,16,17,19 तक बावजूद तामिली अनुपस्थित। अप्रार्थीगण 1-4, 7-11, 13,14,16,17,19 तक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली में आदेश पृथक से तैयार कर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

...त्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.रा...
...। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपो...

विवरण
प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षे... ...तर्गत है ?
...ार्थना पत्र के साथ पर्या... ...है ?
...वित संख्या में तलवाना ... प्रति मय कोर्ट फीस ...
...ना पत्र के प्रत्येक पे... ...क्षर/अंगूठा निशानी ...
...ना पत्र में जिन सीमा... उन सभी हितधारको... ...गा है ?
...ना पत्र में पक्षका... ...पूर्ण पता पिनकोड ...गा गया है?
... पत्र के साथ ...
... पत्र के स... रिपोर्ट संलग्न...
...पत्र राजस्व न्या... ...उचित है ?

श्रीमान पी...

नोटिस जा...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2024 उनवान सुनिता बनाम कंचन वगैरह ::

सुनिता चौधरी पत्नि श्री राजेन्द्र जाट उम्र लगभग बलित वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

1– कंचन पुत्री सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

2– कांता पुत्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

3–काली गाणा पुत्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

4- गोकुल पुत्र उगमा, जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान

5- गोपाल पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

6- गोरा जाट पुत्री सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

7– जमना देवी पत्नि स्व. सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

8- परमेश्वर पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

9- रेखा चौधरी पुत्री सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

10- रंगलाल पुत्र. श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

11- नाबालिग राहुल चौधरी पुत्र नारायण जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शम्भू देवी पत्नि स्व. नारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

12- शंकर लाल चौधरी पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

13- शम्भू देवी पत्नि स्व. नारायण, जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला. अजमेर, राजस्थान

14- श्रवण पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

15- शिवराज पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

16- सोहनलाल पुत्र पांचूलाल जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

17- रामलाल पुत्र गोपी, जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अज

18- महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री मूरा लाल, जातिं जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

19- रघुवीर चौधरी पुत्र भंवर लाल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

20.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 20/6/25

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 18.9.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 93/2024 पर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भू.अ.नि. लाम्बा जिसके खाता संख्या 694 के खसरा संख्या 2200/1159 रकबा 0.6495 हैक्टैयर है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 ग्राम लाम्बा स्थित खसरा संख्या 2468/1159 क्षेत्रफल 1.8939 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 2468/1159 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2200/1159 के पूर्व दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या. 16 ग्राम लांम्बा स्थित खसरा संख्या 2458/1159 क्षेत्रफल 0.3561 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 2458/1159 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2200/1159 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 17 ग्राम लाम्बा स्थित खसरा संख्या 2459/1159 क्षेत्रफल 0.4937 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 2459/1159 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2200/1159 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 18 व 19 ग्राम लाम्बा स्थित खसरा संख्या 2166/1159 क्षेत्रफल 0.5504 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 2166/1159 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2200/1159 के पश्चिम दिशा में स्थित है तथा प्रार्थी की भूमि 2200/1159 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 2640/1159 गै.मु. छापर है' जो सरकारी भूमि है।तथा प्रार्थी की भूमि 2200/1159 के पूर्व, उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2463/1159 गै.मु. आव है जो सरकारी भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 19 के मध्य सीमा विवाद होने के कारण आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भमि पर विवाद उत्पन्न करते है । जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भू0अ0नि0 क्षेत्र लाम्बा तहसील अराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2200/1159 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर की सीमाओं का भोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

2. दिनाकं 28.3.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4,7—11,13,14,16,17,19 की और से कोई उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 5,6,12,15,18 हमारे समक्ष उपस्थित हुये ।

3. दिनांक 20.6..2025 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4,7—11,13,14,16,17,19 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने द्वारा समय पर जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 20.6.2025 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भू0अ0नि0 क्षेत्र लाम्बा तहसील अराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2200/1159 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2200/1159 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु

अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] 10 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीयां की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भू0अ0नि0 क्षेत्र लाम्बा तहसील अराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2200/1159 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा भू0अ0नि0 क्षेत्र लाम्बा तहसील अराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2200/1159 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)